

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्क अहकाम

सु. नं 57/17 तारीख 29.8.17

उपनाम - राधे बनाम जीता व सीमा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 P.T Act

प्राची की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। अभावकी
व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दख
लिये कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तालम
कर पत्रावली दिनांक 4.9.17 को पेश हो।

4568-71

29-8-17

(Signature)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

4/ पत्रावली पेश हुई। जीता व सीमा की ओर से श्री शमापतर
शर्मा एच. ने जीमा पेश किया। उपपंजीयक जे.भी.म व लेण्ड
होल्डर जोड़े हटसीलदार की तामिल हो चुकी है। पावचद
तामिल कोई उपास्ति नहीं। इसलिए उप पंजीयक व लेण्ड
होल्डर जे.भी.म के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमलमें
लायी जाती है। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील
उभयपक्षकारान को सूजा गया। बरस वकील उभयपक्ष
कारान पर मनन किया व पत्रावली में दखल देकर व दस्तोतों
का अवलोकन करने पर जे.रसापलान को जरिये अन्तरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उपेक्षित
होता है। आ. आदेश दिया जाता है कि जे.रसापलान
आसजीयात ख. नं. $\frac{220}{0.25}$, $\frac{221}{0.5}$, $\frac{233}{0.4}$ कुलकिस उकुल
रक का 0.86 हे० वामे ग्राम नं दीपुर हटसील-जे.भी.म
जिला कलेक्टर के रिफाई एण्ड मोके की घुथासिति आजागी
तारीखपेशी दिनांक 19.9.17 तक बमोयस्ये। पत्रावली
पाले ~~वकील~~ दिनांक 19.9.17 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (रहस्यी)

न्यायालय का प्रिन्सिपल ऑफर के

क्र.सं.	विवरण
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...